राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 10/2021

दायर दिनांकः—21.01.2021

1. शशी बिरला पत्नी श्री अशोक कुमार जाति महाजन आयु 59 वर्ष, हाल निवासी 2081, रानी बाग, नोर्थ वेस्ट, दिल्ली, पिन कोड़ 110034

.........वादीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बाबत राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती हेतु

निर्णय दिनांक 28.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का कोटड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र कोटडी तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या नया 81 खसरा नम्बर 315 रकबा 5.0481 हैक्टेयर में वादिया का हिस्सा 1/3 दर्ज है। उपरोक्त खसरा में शशी बाला पत्नी श्री अशोक कुमार सही नाम शशी बिरला पत्नी श्री अशोक कुमार का हिस्सा निहित दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादिया का नाम शशी बाला पत्नी श्री अशोक कुमार का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादिया का सही व वास्तविक नाम शशी बिरला पत्नी श्री अशोक कुमार है। इसलिए सहवन से बिरला के स्थान पर बाला दर्ज हो गया था। वादिया का नाम शशी बाला पत्नी श्री अशोक कुमार के स्थान पर शशी बिरला पत्नी श्री अशोक कुमार का नाम इन्द्राज करवाने व इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहती है। वादिया के आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पैनकार्ड, भारतीय पासपोर्ट व पहचान पत्र आदि रिकार्ड में शशी बिरला पत्नी श्री अशोक कुमार नाम दर्ज है। वादिया के खसरे में नाम शशी बाला पत्नी श्री अशोक कुमार दर्ज होने से तथा वादिया के अलग अलग नाम होने से वादिया को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने में एवं अपनी कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जबकि उक्त शशी बाला पत्नी श्री अशोक कुमार व शशी बिरला पत्नी श्री अशोक कुमार दोनों नाम की वादिया एक ही व्यक्ति है। इसके संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत कोटडी के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उ[illegible]जी में वादिया का नाम शशी बाला पत्नी श्री अशोक कुमार का इन्द्[illegible] वास्तविक नाम शशी बिरला पत्नी श्री अशोक कुमार है। वादिया के नाम के लिए खातेदारी [illegible]ा करवाने एवं इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिए उक्त वाद माननीय न्याय[illegible]क हुआ है। वादिया ने पटवार हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई, तब से वाद कारण शुरू होकर आज तक निरन्तर जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का कोटड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या नया 81 खसरा नम्बर 315 रकबा 5.0481 हैक्टेयर दीपक पुत्र नथमल हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा0देह खातेदार, शशी बाला पत्नी अशोक कुमार हिस्सा 1/3 जाति महाजन (वादिया) सा0 हर्ष विहार पितमपुरा दिल्ली खातेदार, नर्बदा देवी पत्नी नथमल हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार कर रिकार्ड में वादिया का नाम शशी बाला पत्नी अशोक कुमार के स्थान पर शशी बिरला पत्नी अशोक कुमार दर्ज किया जाता है तो किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन के पश्चात वादिया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का कोटड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या नया 81 खसरा नम्बर 315 रकबा 5.0481 हैक्टेयर में वादिया का हिस्सा 1/3 में वादिया का नाम शशी बाला पत्नी अशोक कुमार के स्थान पर शशी बिरला पत्नी अशोक कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 10/2021

1. शशी बिरला पत्नी श्री अशोक कुमार जाति महाजन आयु 59 वर्ष, हाल निवासी 2081, रानी बाग, नोर्थ वेस्ट, दिल्ली, पिन कोड़ 110034

.........वादीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा. का. अधि. एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का कोटड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या नया 81 खसरा नम्बर 315 रकबा 5.0481 हैक्टेयर में वादिया का हिस्सा 1/3 में वादिया का नाम शशी वाला पत्नी अशोक कुमार के स्थान पर शशी बिरला पत्नी अशोक कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक [illegible] को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)